

न्यायालय:-न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, आमला जिला बैतूल म0प्र0  
(पीठासीन अधिकारी-धनकुमार कुडोपा )

विविध दांडिक प्र0क0-08 / 16  
संस्थापित दिनांक-29.02.2016  
फाईलिंग नं. 233504001592016

सारिका पति अमीत कुमार शर्मा, उम्र 26 वर्ष,  
 नि0 गोविन्द कालोनी शारदा मंदिर के पास आमला,  
 तहसील आमला, जिला बैतूल म0प्र0 ।

----- आवेदिका / व्यथित

**!! विरुद्ध !!**

1. अमीत कुमार पिता गणेश प्रसाद शर्मा, उम्र 33 वर्ष,
2. गणेश प्रसाद शर्मा पिता शंकरलाल शर्मा, उम्र 58 वर्ष,
3. श्रीमती हेमलता पति गणेश प्रसाद शर्मा, उम्र 55 वर्ष,  
 सभी:-जाति ब्राम्हण, नि0 राजीव गांधी वार्ड मकान नं. 280  
 पचमढ़ी रोड पिपरिया तह0 पिपरिया जिला होशंगाबाद म0प्र0 ।

----- अभियुक्तगण / प्रत्यर्थीगण

-: निर्णय :-

**{आज दिनांक-13/02/17 को घोषित}**

- 1- अभियुक्तगण के विरुद्ध घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा-31 के तहत आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि आपने आदेश दिनांक 11/01/16 घरेलु हिंसा से महिला का संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 31 पारित संरक्षण आदेश का उल्लंघन किया ।
- 2- आवेदिका का आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि न्यायालय द्वारा दिनांक 11/01/2016 को आवेदिका की ओर से प्रस्तुत घरेलु हिंसा एवं महिला संरक्षण अधिनियम का आवेदन स्वीकार कर आदेश पारित किया कि प्रत्यर्थीगण एवं अन्य किसी माध्यम से आदेश दिनांक से व्यथित व्यक्ति के प्रति किसी भी प्रकार से घरेलु हिंसा के कृत्य से अपने आप को पृथक रखेंगे। प्रत्यर्थी कं 1 अमित व्यथित सारिका को आदेश दिनांक से प्रतिमाह 6000/-रूपये भरण पोषण राशि अदा करें। अनावेदक ने न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया है। आवेदिका की ओर से दिनांक 22/02/16, 27/02/16 को लिखित सूचना पत्र भेज कर अनावेदक से आदेश के पालन करने की विनती की थी, साथ ही प्रतिमाह भरण पोषण धनराशि दिलाये जाने का निवेदन किया था, किन्तु अनावेदक ने अभी तक न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया है। स्वयं अनावेदक प्रकरण में पक्षकार था, जो जानबूझकर कर बाद में

एकपक्षीय हो गया है। उसकी स्वयं की यह जिम्मेदारी थी वह स्वेच्छा से न्यायालय के आदेश का पालन करता। किंतु अनावेदक द्वारा जानबूझकर न्यायालय के आदेश की अवेहलना की जा रही है। अनावेदक जानबूझकर न्यायालय के आदेश के पालन से बच रहा है। ऐसी स्थिति में अनावेदक के विरुद्ध घरेलु हिंसा एवं महिला संरक्षण अधिनियम के विधिक प्रावधानों के तहत कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। आवेदिका को स्वयं के लिए भरण पोषण धनराशि की आवश्यकता है। आवेदिका के पास आय का कोई साधन नहीं है। अनावेदक ने विचारण के दौरान भी कोई धनराशि अदा नहीं की है। आवेदिका और अनावेदक के मध्य प्रकरण इसी न्यायालय के क्षेत्राधिकार में चला था, आवेदिका निश्चित न्यायशुल्क चस्पा करती है एवं सूची अनुसार दस्तावेज पेश करती है। आवेदिका को प्रतिमाह 6000/-रूपये भरण पोषण धनराशि अनावेदक से आदेश दिनांक 11/01/16 को के परिपालन में दिलाई जावे। साथ ही अंतरिम भरण पोषण धनराशि भी दिलाये जाने का निवेदन किया है।

3— अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 313 दं०प्र०सं० के अंतर्गत अभियुक्तगण का अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्तगण ने अपने अभियुक्त परीक्षण में कहा कि वह निर्दोष है, उन्हे झूठा फंसाया गया है। बचाव पक्ष ने अपने बचाव में कोई बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

4— न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय प्रश्न यह है कि:—

“आपने आदेश दिनांक 11/01/16 घरेलु हिंसा से महिला का संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 31 पारित संरक्षण आदेश का उल्लंघन किया?”

—: निष्कर्ष एवं उसके आधार :—

विचारणीय प्रश्न क० 1 का निराकरण

5— आवेदिका सारिका (आ०सा०1) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि अभियुक्तगण के विरुद्ध उसके द्वारा घरेलु हिंसा अधिनियम, 2005 की धारा-31 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया था। घरेलु हिंसा अधिनियम, 2005 धारा-18,19,20 के अंतर्गत उसे न्यायालय के द्वारा आदेश प्रदान किया गया था जिसके उल्लंघन के कारण उसके द्वारा यह प्रकरण प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रकरण में माननीय अपर सत्र न्यायालय मुलताई के न्यायालय में उसके द्वारा 4,00,000/- (चार लाख) रुपये ड्राफ्ट के माध्यम से प्राप्त हो चुके हैं उक्त राशि उसके खाते में प्राप्त हो चुकी है। अभियुक्तगण से उसका स्वेच्छया पूर्वक बिना किसी डर दबाव के राजीनामा किया गया है इस कारण उसके द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध जो प्रकरण प्रस्तुत किये गये हैं उनमें राजीनामा किया गया है और इस प्रकरण में राजीनामा के आधार पर वह समाप्त करना चाहती है। अब उसे अभियुक्तगण से किसी भी प्रकार से चल अचल सम्पत्ति एवं भरण पोषण के संबंध में किसी प्रकार से वह मांग नहीं करेगी। स्वेच्छया पूर्वक किये गये राजीनामा के आधार पर यह प्रकरण समाप्त किये गये हैं।

6— आगे इस गवाह ने अपनी प्रतिपरीक्षा की कंडिका 3 में यह स्वीकार किया है कि उसने जीवन पर्यन्त तक की राशि प्राप्त कर ली है। आगे इस गवाह ने यह भी

स्वीकार किया है कि उसने जो घरेलु हिंसा की अपील की थी उसमें वह कार्यवाही नहीं चाहती है। आगे इस गवाह ने व्यक्त किया है कि वह अमित और उसके परिवार से जीवन में कभी भी किसी प्रकार का कोई अनुतोष नहीं चाहती है। इस प्रकार आवेदिका सारिका की साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि उसके स्वयं के द्वारा घरेलु हिंसा अधिनियम, 2005 के अंतर्गत जो आदेश किया गया था। उस आदेशानुसार प्रत्यर्थीगण से एक मुश्त राशि 4,00,000/- (चार लाख) रुपये की राशि प्राप्त कर ली हैं उसके द्वारा बिना किसी डर दवाब के राजीनामा किया गया है। इस प्रकार स्वयं आवेदिका सारिका की साक्ष्य के अनुसार इस न्यायालय का आदेश दिनांक 11/01/16 घरेलु हिंसा से महिला के संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा-31 का पारित संरक्षण आदेश का उल्लंघन प्रत्यर्थीगण द्वारा नहीं किया गया है। इस प्रकार प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध घरेलु हिंसा से महिला का संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा-31 के तथ्य प्रमाणित नहीं माने जा सकते हैं।

7- उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्तगण ने आदेश दिनांक 11/01/16 घरेलु हिंसा से महिला का संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा-31 पारित संरक्षण आदेश का उल्लंघन किया। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न कं 1 का निराकरण "अप्रमाणित" रूप से किया जाता है।

8- उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्तगण ने आदेश दिनांक 11/01/16 घरेलु हिंसा से महिला का संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा-31 पारित संरक्षण आदेश का उल्लंघन किया। इस प्रकार अभियुक्तगण अमित, गणेश प्रसाद, श्रीमति हेमलता को घरेलु हिंसा अधिनियम, 2005 की धारा-31 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

9- प्रकरण में अभियुक्तगण के धारा 313 द०प्र०सं० के पूर्व प्रस्तुत जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं। अभियुक्तगण का धारा 428 द०प्र०सं० का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

10- प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति कुछ नहीं।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित।

(धनकुमार कुड़ोपा)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, जिला बैतूल म०प्र०

(धनकुमार कुड़ोपा)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
आमला, जिला बैतूल म०प्र०









